भाग–3

वित्त विभाग के महत्वपूर्ण शासनादेशों का संकलन

(राज्य गठन की तिथि 09 नवम्बर, 2000 से अप्रैल 2010 तक)

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रस्तावना

राज्य में वित्त विभाग के शासनादेशों/नियमावलियों का संकलन प्रथम बार प्रकाशित किया जा रहा है। इस संकलन में वित्त विभाग के नीति विषयक आदेश तथा नियमावलियां, जिन्हें राज्य गठन के पश्चात् जारी किया गया है, प्रकाशित किये जाने का निश्चय किया गया है।

2. संकलन में वित्त विभाग के राज्य गठन के पश्चात् जारी शासनादेशों एवं नियमावलियों को सम्मिलित किया गया है। संदर्भ की सुविधा के लिये इसे 35 भागों के विभाजित किया गया है जिसका उल्लेख विषय सूची में है। विषयों की निरन्तरता के उद्देश्य से कतिपय प्रशासनिक विभागों के शासनादेश भी सम्मिलित किये गये है।

3. इस संकलन को श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव, वित्त विभाग के निदेशन में श्री एन0एन0 थपलियाल, सलाहकार वित्त तथा श्री रमेश चन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव, वित्त, उप सचिव श्री देवेन्द्र पालीवाल तथा अनुभाग अधिकारी श्री मटन लाल की टीम द्वारा परिश्रम से तैयार किया गया है, जो धन्यवाद के पात्र है।

4. आशा है कि यह संकलन राज्य के सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

देहरादून : दिनांक 21 मई, 2010 ई0
बैशाख 31, 1932 शक संवत्

19

शासकीय विभागों में किरायों पर टैक्सी/वाहनों का उपयोग

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	शासनादेश सं0 तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	प्रदेश के शासकीय विभागों में वाहनों/टैक्सी के उपयोग हेतु दिशा निर्देश	सं0–1427/XXVII(3)रा0वा0/2004, देहरादून, दिनांक–30 अक्टूबर, 2004	3–4

संख्या1427 / XXVii(3)रा.वा. / 2004

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,वित्त
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

वित्त अनु–3

देहरादून:दिनांक 30अक्टूबर,2004

विषयः–प्रदेश के शासकीय विभागों में वाहनों / टैक्सी के उपयोग हेतु दिशा निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजकीय वाहन चालक महासंघ की मागों पर शासन स्तर पर यह संज्ञान में लाया गया है कि विभागों में वाहन एवं चालक का पद स्वीकृत होने पर भी अधिकारी / कार्यालयों में निजी टैक्सी का उपयोग काफी मात्रा में हो रहा है जिसके कारण शासन को चालकों के वेतन के साथ–2, सरकारी वाहन के अनुरक्षण के साथ–2 निजी टैक्सी का अनावश्यक व्ययभार भी शासन पर पड़ रहा है अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षों / अधिकारियों को वाहन अनुमन्य है और उनके लिए विभागीय वाहन / चालक स्वीकृत है तो किसी भी स्थिति में उनके द्वारा निजी टैक्सी का उपयोग प्रतिबन्धित होगा । यदि किन्ही मामलों में टैक्सी का उपयोग आवश्यक समझा जाता है तो विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा शासकीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के लिए शासन स्तर पर अपने विभागाध्यक्ष की अनुमति से निजी टैक्सी का उपयोग निम्न शर्तों के अधीन किया जा सकता है :–

(i)अधिकारी / विभाग के पास स्वीकृत वाहनों / अनुमन्यता का विवरण दिया जाएगा और कार्य का भी विवरण दिया जायेगा जिसके लिए निजी वाहन का उपयोग आवश्यक हो,

(ii)निजी वाहन लेने के पूर्व उसकी लागत के अनुसार टैण्डर / कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जाएगा,

(iii)किसी अधिकारी द्वारा निजी वाहन का उपयोग उपरोक्त प्रक्रियानुसार तभी किया जाएगा यदि उसे वाहन अनुमन्य हो लेकिन कोई राजकीय वाहन स्वीकृत न हो या अन्य विभागीय वाहन उपलब्ध न हो,

(iv)राजकीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के लिए निजी टैक्सी का उपयोग नही किया जाएगा लेकिन प्रकरण विशेष में विभागीय कार्य की तात्कालिकता के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष की अनुमति से निजी वाहन का उपयोग किया जा सकता है,

(v) निजी टैक्सी पर आने वाला समस्त व्ययभार सम्बन्धित विभाग के आय–व्ययक की 08–कार्यालय व्यय अथवा 16–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान की मानक मदों से वहन किया जाएगा ।

2.समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्षों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे निजी टैक्सी के उपयोग में उपरोक्तानुसार दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें, यदि ऐसा न करके विना उक्त प्रकिया के ही निजी वाहन का उपयोग किया जाता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष का ही माना जाएगा ।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव,वित्त

संख्या 1427 / XXVii(3)रा.वा. / 2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि शासन के समस्त प्रमुख सचिवों / सचिवों / अपर सचिवों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीन विभागों को उपर्युक्त निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

संख्या 1427 / XXVii(3)रा.वा. / 2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1)महालेखाकार,उत्तरांचल, औबेराय भवन,माजरा,देहरादून ।
(2)सचिव,विधान सभा,उत्तरांचल,देहरादून ।
(3)सचिव, श्री राज्यपाल,उत्तसंचल,देहरादून ।
(4)वरिष्ठ कोधाधिकारी / कोषाधिकारी, समस्त जनपद ।
(5निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल ।
(6)समस्त सार्वजनिक उपक्रम / निगम,स्वायतशासी संस्थायें,स्थानीय निकाय एवं प्राधिकरणों के अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक ।
(7)समस्त कुल सचिव, राज्य विश्व विद्यालय ।
(8)सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(9)निदेशक, एन0आई0सी0,देहरादून ।
(10)गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव